

वध हेतु जा रही 01 राशि गोवंश बरामद 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 21.07.2024 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे क्रासिंग रतनपुरा के पास से वध हेतु ले जा रहे 01 राशि गोवंश घटना कारित में प्रयुक्त एक अदद पिकअप(यूपी54बीटी0321) बरामद कर अभियुक्तगण उदयभान उर्फ छांगुर यादव पुत्र बाके यादव निवासी दुर्जेपुर थाना रानीपुर, मनोज मौर्या पुत्र चन्द्रमा मौर्या निवासी ज्ञानपार दतौडा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया इस संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 207/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. उदयभान उर्फ छांगुर यादव पुत्र बाके यादव निवासी दुर्जेपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।
2. मनोज मौर्या पुत्र चन्द्रमा मौर्या निवासी ज्ञानपार दतौडा थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. 01 राशि गोवंश।
2. एक अदद पिकअप वाहन।

एक वांछित तथा 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 21.07.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जरिय मुखबिर की सूचना पर बरहजपुर कुटी के पास से मु0अ0सं0 210/24 धारा 363,366,376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त असरफ पुत्र सुफैल निवासी साहपुर मौलानी थाना कन्धारा जनपद आजमगढ तथा कोतवाली पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण बबलू पुत्र लल्लन राम, अजय राय पुत्र जगदीश राय निवासीगण हनुमाननगर भीटी थाना कोतवाली नगर तथा मधुबन पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त अलगू साहनी पुत्र राजधारी निवासी देवशीपुर दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

महिला एचिक्क ब्यूरो के प्रयास से 02 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 64 मामलों में से 12 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 21.07.2024 को महिला एचिक्क ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एचिक्क ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 64 मामले आये जिसमें एचिक्क ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 12 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 02 दंपति रेशमा/युसूफ, रफत/कैसर आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 03 मामले में एफआइआर दर्ज करने का निर्णय लिया गया तथा 07 मामले बन्द किये गये। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 04.08.2024 दी गयी है। एचिक्क ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद, उ0नि0 समरजीत यादव, म0आ0 राजलक्ष्मी, प्रियंका उपस्थित रही।